

STA- 1 में शामिल होना भारत के लिये कतिना महत्त्वपूर्ण है?

संदर्भ

अमेरिका ने भारत को सामरिक व्यापार प्राधिकरण-1 (Strategic Trade Authorisation-1) की सूची में शामिल करते हुए इसे कथि जाने वाले दोहरे उपयोग वाली उच्च प्रौद्योगिकी के नरियात में छूट प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि भारत यह दर्जा पाने वाला एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है। इस सूची में शामिल होने के बाद अमेरिका से उच्च तकनीकी सामरिक उत्पादों का लेन-देन आसानी से हो सकेगा।

पृष्ठभूमि

- भारत के लिये उच्च तकनीक तक पहुँच स्थापति करना, वर्ष 2008 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ असेन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने के प्रमुख उद्देश्यों में से एक था, जसि वशिष रूप से 1970 से 90 के दशक तक अस्वीकार कर दिया गया था।
- राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के अंत में अमेरिका ने भारत को "प्रमुख रक्षा सहयोगी" के रूप में मान्यता दी और अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ रक्षा सह-उत्पादन और सह-विकास के लिये समान प्रौद्योगिकी को साझा करने की प्रतिबद्धता जताई।
- अगस्त 2009 में ओबामा ने शीतयुद्ध युग की प्रथाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से यूएस नरियात नियंत्रण प्रणाली की व्यापक समीक्षा करने की घोषणा की जिसका मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकियों को सोवियत संघ के हाथों में जाने से रोकना तथा अमेरिकी तकनीकी उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ ही अधिक नौकरियाँ सृजित करना था। तब से अब तक ये परिवर्तन जारी हैं।

अमेरिका में सीमिति है नरियात लाइसेंसिंग

- अमेरिका ने पारंपरिक रूप से बहुत ही सीमिति नरियात लाइसेंसिंग शासन कथि है। मुनिशिन सूची, जसिमें रक्षा वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों को शामिल कथि जाता है, को राज्य विभाग द्वारा नियंत्रित कथि जाता है और वाणिज्य नियंत्रण सूची, जसिमें दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी शामिल हैं, वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आती है।

STA-1 तथा STA-2

- 2011 में नरियात नियंत्रण में सुधार के लिये पहल के रूप में अमेरिकी सरकार ने लाइसेंस मुक्त या लाइसेंस में छूट वाले शासन की ओर एक कदम बढ़ाते हुए सामरिक व्यापार प्राधिकरण (Strategic Trade Authorisation -STA) की अवधारणा लागू की तथा इसके अंतर्गत दो सूचियाँ - STA-1 और STA-2 बनाई गईं।
- वे देश जो इनमें से कसि भी सूची का हसिसा नहीं हैं उन्हें वाणिज्य नियंत्रण सूची (दोहरे उपयोग की वस्तुओं वाली) के प्रत्येक आइटम के लिये लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन करना पड़ता है।
- STA-1 और STA-2 ने उन लोगों के बीच एक पदानुक्रम स्थापति कथि जनिहें अमेरिका "अच्छे देशों" (जो दुनिया में "प्रसार" की दशा में योगदान नहीं देते थे) के रूप में प्रमाणित करने का इच्छुक था।
- STA-1 सूची में 36 देश (इसमें नाटो सहयोगी और द्विपक्षीय संधि सहयोगी जैसे- जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं) हैं, जनिके अप्रसार नियंत्रण को अमेरिका दुनिया में सबसे अच्छा मानता है।
- उल्लेखनीय है कथि सभी देश चारों बहुपक्षीय नरियात नियंत्रण प्रणालियों- परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG), मसिाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR), ऑस्ट्रेलिया समूह और वासनेर व्यवस्था का भी हसिसा हैं।
- STA-1 में शामिल देशों (अमेरिका के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों) को लगभग 90% दोहरी उपयोग तकनीक के लिये लाइसेंस मुक्त पहुँच प्राप्त है और ये सभी देश राष्ट्रीय सुरक्षा, रासायनिक या जैविक हथियार इत्यादि के कारणों को नियंत्रित करने के लिये पात्र हैं भले ही प्रौद्योगिकी या वस्तु क्षेत्रीय स्थिति या अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करे।
- STA-2 सूची में शामिल देशों को केवल कुछ मामलों में लाइसेंस छूट प्राप्त है लेकिन वे दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं/प्रौद्योगिकी प्राप्त नहीं कर सकते जो क्षेत्रीय स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, या परमाणु अप्रसार आदि में योगदान दे सकते हैं।
- STA-1 में शामिल होने से पहले, भारत STA-2 सूची में (सात अन्य देशों - अल्बानिया, हॉन्गकॉन्ग, इज़राइल, माल्टा, सगिपुर, दक्षिण अफ्रीका और ताइवान के साथ) शामिल था।
- यहाँ कुछ बडिओं को ध्यान में रखना आवश्यक है:

- ◆ बहुत से देश STA-1 और STA-2 दोनों सूचियों से बाहर हैं और वशिषिट लाइसेंस के बिना अमेरिका की उच्च तकनीक तक पहुँच प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
- ◆ अल्बानिया नाटो का एक सदस्य है इसके बावजूद STA-2 में शामिल है।

- ◆ इज़राइल, एक प्रमुख अमेरिकी सहयोगी, STA -1 में शामिल नहीं है।
- ◆ फ़िलीपींस, एक और प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी इनमें से किसी भी सूची में शामिल नहीं है।
- ◆ चीन और पाकस्तान भी इनमें से किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं।

भारत तथा अमेरिका के बीच बढ़ती नज़दीकियाँ

- भारत सरकार, वैज्ञानिक समुदाय और रक्षा तथा उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के लिये भारत का STA-2 से STA-1 में शामिल होना एक बड़ी उपलब्धि है।
- अमेरिकी सहयोगियों के इस कुलीन क्लब की सदस्यता से भारत के उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार और वाणज्य की ओर बढ़ने की उम्मीद है।
- अमेरिकी अनुमानों के मुताबिक, भारत के STA-1 का हस्तिता नहीं होने के कारण वह 2011 से अब तक पछिले सात वर्षों में लगभग 10 बिलियन डॉलर तक के आर्थिक लाभ का मौका खो चुका है।
- भारतीय उच्च तकनीक उद्योग के लिये STA-1 का हस्तिता होने से भारत में बिक्री और वनिर्माण दोनों के लिये दरवाज़े खुल सकते हैं।
- "उद्योग बना किसी चिंता के भारत में वनिर्माण केंद्रों की स्थापना कर सकते हैं। यहाँ तक कि तीसरे देश भी जो उच्च तकनीक वनिर्माण इकाइयों की स्थापना की मांग कर रहे हैं और जिसके लिये अमेरिका से दोहरी उपयोग वाली उपकरणों की आवश्यकता होती है, उन्हें लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया से नहीं गुज़रना पड़ेगा।
- भारत अब चारों बहुपक्षीय नरियात नयित्रण शासन व्यवस्थाओं का सदस्य न होने के बावजूद भी STA -1 का हस्तिता है यह इसके अप्रसार प्रमाण-पत्रों का साक्ष्य है।

भारत के लिये STA-1 में शामिल होने का महत्त्व

- अमेरिका में या तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) या द्विपक्षीय रक्षा संधि जैसे सैन्य गठजोड़ हैं ऐसे में भारत के लिये प्रमुख रक्षा सहयोगी का दर्ज़ा प्राप्त करना अद्वितीय है।
- अमेरिका द्वारा उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पादों की बिक्री के लिये नरियात नयित्रण में छूट देने से दोनों देशों के बीच रक्षा और कुछ अन्य क्षेत्रों में संबंध और मज़बूत हो सकेंगे।
- इससे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ावा मिलेगा।
- इससे अमेरिका द्वारा भारत को कथि जाने वाला उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों का नरियात सुगम होगा।
- इस अधस्तिचन का बाद अमेरिका से भारत को कथि जाने वाले ड्रोन वमिनों समेत अन्य आधुनिक हथियारों के नरियात पर से सरकारी नयित्रण खत्म हो गया है।
- इससे न केवल दोनों देशों के बीच पारस्परिक सामंजस्य में वृद्धि होगी बल्कि लाइसेंसों की प्राप्ति में जो समय व्यर्थ होता है उसकी भी बचत होगी।

कैसे मलिा भारत को यह दर्ज़ा?

- अमेरिका द्वारा किसी भी देश को STA-1 का दर्ज़ा तभी दथिा जाता है जब वह चार प्रमुख संगठनों- परमाणु आपूर्ति कर्त्ता समूह (NSG), मसिाइल प्रौद्योगिकी नयित्रण व्यवस्था (MTCR), वासेनार व्यवस्था (WA) और ऑस्ट्रेलिया गुरुप का सदस्य हो। STA-1 का दर्ज़ा पाने के लिये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिराक ओबामा द्वारा ये शर्तें नरिधारति की गई थीं।
- भारत ने NSG के अलावा बाकी तीनों संगठनों की सदस्यता हासलि कर ली थी, लेकिन चीन की वज़ह से भारत को NSG की सदस्यता नहीं मलि पा रही थी।
- इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने भारत को अपना प्रमुख रक्षा साझेदार मानते हुए नयिमों में ढील दी, जिसके बाद भारत को STA-1 का दर्ज़ा मलि गया।

नषिकर्ष

- अमेरिका ने भारत को यह दर्ज़ा देकर चीन को एक कड़ा संदेश दथिा है, चीन हमेशा से NSG में शामिल होने की भारत की मांग के खिलाफ रहा है। अब भारत को वे सभी सुवधिएँ मिलेंगी, जो NSG में शामिल किसी देश को मलिती हैं। अमेरिका के नरियात नयित्रण व्यवस्था में भारत की यह स्थिति एक महत्त्वपूर्ण बदलाव की ओर संकेत करती है तथा भारत और अमेरिका के बीच सुदृढ़ होते संबंधों को भी प्रदर्शति करती है।